**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3682**
**दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941(शक) को उत्तर के लिए**

**आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों को लाभ**

**†3682. श्री तालारी रंगैय्याः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के एक भाग के रूप में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कडापा, कुरनूल, चिततूर, श्रीकाकुलम, विजयानगरम और विशाखापट्नम नामक सात जिलों को पिछड़े क्षेत्रों का दर्जा दिया गया है;**

**(ख) क्या उक्त अधिनियम यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार उपयुक्त अनुदान प्रदान करे और यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विकास पैकेज के रूप में पर्याप्त लाभ और प्रोत्साहन दिए जाएं तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य हेतु विशेष विकास पैकेज पर विचार करते समय रायल सीमा और राज्य के उत्तरी तटीय क्षेत्रों को विशेष पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किए जाएं; और**

**(ग) 2014 से 2019 तक आंध्र प्रदेश के उन पिछड़े क्षेत्रों की उक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (ग): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (एपीआरए), 2014 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समुचित अनुदान कर सकेगी और इस बात को भी सुनिश्चित कर सकेगी कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विकास पैकेज के रूप में पर्याप्त फायदे और प्रोत्साहन दिए जाएं। उक्त अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष विकास पैकेज पर विचार करते हुए विशिष्टतया रायलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी। तदनुसार, विशेष विकास पैकेज के लिए आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्र के सात जिलों नामतः अनंतपुर, चित्तूर, कुड्डपा, कुरनूल, श्रीकाकुलम, विशाखापतनम और विजयनगरम का निर्धारण किया गया है और प्रतिवर्ष प्रति जिला 50 करोड़ रु. की दर से विकास अनुदान प्रदान किया जाता है। अब तक इन सात जिलों के विकास के लिए 1050 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, इन जिलों के विकास के लिए आयकर से संबंधित निम्नलिखित कर प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए हैं:

(i) अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को अथवा इसके बाद स्थापित विनिर्माण उपक्रम/उद्यम द्वारा खरीदी और स्थापित की गई नई विशिष्ट मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के संबंध में 35% (20% के बजाय) की दर से उच्चतर अतिरिक्त अवमूल्यन।

(ii) दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान किसी अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में दिनांक 01.04.2015 के पश्चात विनिर्माण/उत्पादन उपक्रम/उद्यम स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे और स्थापित किए गए विशिष्ट संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के संबंध में 15% का अतिरिक्त निवेश भत्ता।

*******